Vll - 55/2015

देवघर समाहरणालय

(जिला आपूर्ति शाखा)

जनवितरण प्रणाली दुकान की नई अनुज्ञप्ती संबंधी

सूचना

झारखंड लक्षित जनवितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2017 के अध्याय–III की कंडका 9 (I), 9 (IV) एवं कंडिका 10 के अनुरूप देवघर जिला के विभिन्न प्रखंडों में जनवितरण प्रणाली दुकानों के आवंटन हेतु अनुज्ञप्ती निर्गत किया जाना है। नियंत्रण आदेश 2017 के प्रावधनों एवं उपायुक्त, देवघर के अनुमोदन दिनांक 17.07.2017 के आलोक में जनवितरण प्रणाली दुकान हेतु अनुज्ञप्ती प्राप्त करने के इच्छुक निम्नांकित श्रेणी के संस्थाओं/वर्गों से विहित प्रपत्र–1 में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

क. महिला स्वयम् सहायता समूह

ख. महिला सहयोग समितियों

ग. पैक्स/लैम्पस्

घ. भूतपूर्व सैनिकों की सहयोग समितियाँ

ङ. वैसा समूह जिसके सभी सदस्य (न्यूनतम 10 या इससे अधिक) विकलांग हो तथा सभी की विकलांगता 40% से अधिक हो।)

आवेदन हेतु विहित प्रपत्र–1, आवेदन के साथ आवश्यक शुल्य एवं अन्य शर्तें एवं प्रखंडवार रिक्तियाँ जिला के वेबसाइट www.deoghar.nic.in एवं जिला आपूर्ति कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखे जा सकते है। आवेदन पत्र प्रपत्र–1 का नमूना जिला आपूर्ति कार्यालय से अथवा वेबसाईट से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

सीलबन्द लिफाफा में सभी कागजातों शुल्कों के साथ भरा हुआ आवेदन पत्र जिल आपूर्ति कार्यालय में दिनांक 08.08.2017 को संध्या 05.00 बजे तक जमा किया जा सकता है। इस सूचना के प्रकाशन से पूर्व जनवितरण प्रणाली की नई अनुज्ञप्ती हेतु समर्पित किया गया कोई भी आवेदन पत्र वैद्य नहीं होगा।

21.7.17

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
देवघर।

ज्ञापांक 757 /निर्वा0, देवघर, दिनांक 21/07/2017

प्रतिलिपिः– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस विज्ञप्ती का प्रकाशन लोकप्रिय समाचार पत्रों में कराई जाय।

21.7.17

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
देवघर।

ज्ञापांक 757 /निर्वा0, देवघर, दिनांक 21/07/2017

प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, देवघर जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर/मधुपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

21.7.17

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
देवघर।

देवघर समाहरणालय
(जिला आपूर्ति शाखा)

जनवितरण प्रणाली दुकान की नई अनुज्ञप्ती प्राप्त करने हेतु आवेदन की शर्तें

1. महिला स्वयं सहायता समूह की स्थिति में दुकानों के आवंटन में ग्रेड II समूह को प्राथमिकता दी जायेगी।
2. वैसे समूह/समितियाँ/पैक्स जो दिवालीय घोषित हो अथवा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन दोषी करार दिये गये हो, को दुकान की अनुज्ञप्ती नही दी जायेगी।
3. किसी भी उस व्यक्ति/संस्था को जनवितरण प्रणाली का अनुज्ञप्ती प्रदान नहीं किया जायेगा, यदि उसका जनवितरण प्रणाली के किसी वस्तु अथ्वा उस वस्तु से निकट रूप से संबंधित वस्तु में निजी व्यापारिक सहभागिता हो।
4. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित अभिलेखों कों संलग्न करना आवश्य होगा –
   - क. समूह का निबंधन प्रमाण–पत्र
   - ख. समूह के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का आवासीय प्रमाण–पत्र।
   - ग. समूह के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का चरित्र प्रमाण पत्र।
   - घ. बैंक खता की छायाप्रति।
   - च. अनुज्ञप्ती हेतु शुल्क के रूप में 2000.00 (दो हजार) रू0 तथा जमानत राशि के रूप में 10000.00 (दस हजार) रू0 का डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा ट्रेजरी चालान जमा करना होगा जो जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर के नाम से निर्गत होगा।
   - छ. महिला स्वयं सहायता समूह की स्थिति में चक्रीय निधि प्राप्त होने का प्रमाण–पत्र।
   - ज. विकलांग व्यक्तियों के समूह की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में विकलांगता प्रमाण–पत्र।
   - झ. भूतपूर्व सैनिकों की समितियाँ होने पर पेंशन प्रमाण–पत्र
   - ञ. व्यापार स्थल से संबंधित राजस्व दस्तावेज यथा मकान/दुकान एवं संबंधित जमीन के कागजात अथवा व्यापार स्थल किराया पर होने की स्थिति में कम से कम तीन वर्ष के लिए किरायानामा।
   - ट. कम से कम दो माह के लिए संभावित खाद्यान्न के पर्याप्त भण्डारण क्षमता का शपथ पत्र।
5. निर्गत अनुज्ञप्ती तीन कैलेन्डर वर्ष के लिए वैद्य होगी तथा हर तीन वर्ष पर अनुज्ञप्ती का नवीनीकरण किया जा सकेगा।
6. निर्गत अनुज्ञप्ती किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।
7. जनवितरण दुकान के आवंटन के उपरांत अनुज्ञप्तीधारक को एकरारनामा सम्पन्न करना होगा।
8. अनुज्ञप्ती निर्गत होने के पश्चात् जन वितरण प्रणाली विक्रेता को झारखंड लक्षित जनवितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2017 में निर्धारित सभी निर्देशों का पालन करना होगा।

21.7.17

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
देवघर।

प्रपत्र–I

{उपखण्ड–10(vi) के अधीन}

"झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2017 के अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति मंजूरी के लिए आवेदन पत्र"

सेवा में,

अनुज्ञापन पदाधिकारी,

....

....।

महोदय,

मैं 'झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2017' के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूरी के लिए इसके द्वारा आवेदन करता हूँ। अपेक्षित विशिष्टियाँ निम्न प्रकार है :–

1. आवेदक की विशिष्टियाँ
   - (क) नाम : ....
   - (ख) शैक्षणिक योग्यता : ....
   - (ग) पिता / पति का नाम : ....
   - (घ) आयु : ....
2. आवेदक के निवास स्थान का पता (स्थायी तथा वर्तमान)
   - (क) मकान संख्या / होल्डिंग नं० : ....
   - (ख) मोहल्ला / वार्ड नं० : ....
   - (ग) ग्राम / कस्बा / प्रखण्ड : ....
   - (घ) थाना : ....
   - (ङ.) जिला : ....
3. व्यापार स्थल का विवरण
   - (क) ग्राम / वार्ड नं० (मुहल्ला सहित), जहाँ के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है – : ....
   - (ख) मकान / दुकान संख्या : ....
   - (ग) होल्डिंग नं० : ....
   - (घ) क्षेत्रफल : ....
   - (ङ.) खाता नं० : ....
   - (च) खेसरा नं० : ....
   - (छ) चौहदी : ....
     ....
     ....
     ....
   - (ज) मुहल्ला / वार्ड नं० : ....
   - (झ) ग्राम / शहर : ....
   - (ञ) थाना : ....

(ट) जिला : ....

4. दुकान का स्थान अपना है या किराया का? अगर किराया का है तो किरायानामा का प्रति संलग्न करें। : ....

5. क्या आवदेक के पास पूर्व से अन्य किसी कारोबार की अनुज्ञप्ति है, विवरण दें : ....
....
....

6. क्या आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के कारण गत तीन वर्षों के दौरान कभी भी न्यायालय द्वारा सिद्ध दोषी तो नहीं ठहराया गया है? : ....

7. क्या आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित या सिद्धदोषी ठहराया गया है? : ....

8. क्या आवेदक के उपर कोई आपराधिक मामला तो लंबित नहीं है? : ....

9. क्या आवेदक सरकारी लाभ के किसी पद पर पदस्थापित तो नहीं हैं? : ....

10. क्या आवेदक सरकारी नौकरी में हैं? यदि हाँ तो विस्तृत विवरण दें। : ....

11. क्या आवेदक के पास आटा–चक्की है? : ....

मैं .... एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त मद संख्या 1 से 11 में वर्णित विशिष्टियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है एवं उनमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है। भविष्य में उल्लेखित तथ्य असत्य पाये जाने पर मैं कानूनी कार्रवाई का भागी होउँगा।

मैं 'झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश–2017' के प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़/समझ लिया है तथा मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान : ....

दिनांक : ....

आवेदक का हस्ताक्षर